वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
25 वें वर्ष का उत्सव.....
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 05 नवम्बर – दिसम्बर 2013

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 02
एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकरण का निलंबन

पृष्ठ 04
जीवन का मूल्य 2015: के बाद के विश्व में शांति और मानव सुरक्षा

पृष्ठ 06
स्वैच्छिक नेतृत्व की आवाज: सुब्रत दास

पृष्ठ 11
राज्यों की स्थिति: पश्चिम बंगाल

संपादकीय

भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी: स्वैच्छिक क्षेत्र का एक नया मोर्चा

प्रिय सदस्यो, एसोसिएटस और वाणी के मित्रो,

वाणी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

पिछले एक दशक में भारत वैश्विक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य–पक्ष के रूप में उभरा है। वह न केवल राष्ट्र संघ प्रणाली में बेहतर व्यवहार के अपने दावे को सामने रख रहा है, बल्कि जी–20, ब्रिक्स या आईबीएसए जैसे नये अंतर्राष्ट्रीय मंचों में एक प्रमुख साझेदार भी बन गया है। इस अवधि के दौरान भारत सरकार ने अपनी सतत आर्थिक संवृद्धि और अपने सुरक्षित बाजार को सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए जीतोड़ मेहनत की है। इसके साथ ही भारत ने एक महत्वपूर्ण अनुदानकर्ता और साथ ही विकासकर्ता बनने का प्रयास भी किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य विकासशील और अधोविकसित देशों को सहायता प्रदान करने का भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी के बाद से भारत ने तकनीकी सहायत प्रदान करने और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के लिए एक कार्यक्रम सूत्रित किया है। भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण निवेश काफी लोकप्रिय रहे हैं। हम सभी जातने हैं कि भारत विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और प्रतिरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है भारत नेपाल, बंगलादेश और भूटान जैसे देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता आया है। लगभग दो दशक पहले आरंभ किये गये निजी क्षेत्र के आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप अन्य देशों में भारतीय निवेश में वृद्धि हुई है। अब व्यापक रूप से यह माना जाता है कि भारत के वैश्विक पदचिन्हों की कहानी सरकार, निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा मिलकर लिखी गई है। किन्तु आज जिस मुख्य सवाल को हल करना है, वह यह है कि क्या यह कहानी सामूहिक रूप से लिखी जा रही है या फिर हर पक्ष अपने अलग–अलग तरीके से इसे लिख रहा है।

कम विकसित देशों को भारतीय मदद और तकनीकी सहायता का मामला लेते हैं। इस प्रकार की सहायता की राशि और स्वरूप के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत की कम ठोस जानकारी उपलब्ध है। कार्यगत रूप से यह इतना विकेंद्रित है कि एक विभाग को यह नहीं मालूम कि दूसरा विभाग क्या कर रहा है। यहां तक कि सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में खर्च किये जा रहे सार्वजनिक धन की प्रभाव–क्षमता और प्रभाव को लेकर सवाल उठाया है। इस बीच स्वैच्छिक संस्थाओं और संचार माध्यमों सहित नागरिक समाज के कुछ हलकों ने मांग की है कि अधिक संरचनागत दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरुरत है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया जैसी नई और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उभार के साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग की व्यापकता और महत्व पुनः परिभाषित हुआ है। इसकी प्रभावकारिता को लेकर भी बहस चली है। अंततः 2012 में भारत ने अधिकारिक रूप से विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) के गठन की घोषणा की। यह विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग है जिसका उद्देश्य एक अनुदानकर्ता, विकास साझेदार और सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में भारत की भूमंडलीय भूमिका को परिभाषित, सूत्रित, व्यवस्थित और प्राथमिकीकृत करना है।

वाणी ने हाल ही में **भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह** विषय पर एक अध्ययन कराया है। यह रिपोर्ट ऑन लाइन और मुद्रित, दोनों रूपों में उपलब्ध है। आय कर कानून और विदेशी अनुदान नियमन कानून (एफसीआरए) स्वैच्छिक संस्थाओं को सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय बनने की अनुमति नहीं देते। ठीक यही कारण है कि हालांकि भारत में

शेष पृष्ठ 3 पर

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकरण का निलंबन

हाल में एफ.सी.आर.ए. पंजीकरण के निलंबन का मुद्दा स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा है। यह मुद्दा संचार माध्यमों में तब उभर कर आया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर, 2013 को इंसाफ के एफ.सी.आर.ए. निलंबन को रद्द किया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एफसीआरए अधिनियम का भाग 13(1) एफ.सी.आर.ए. विभाग को अपनी बात सामने रखने या लिखित में कारण बताने का अवसर दिये बिना पंजीकरण को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। यहां हम एफसीआरए 2010 के अंतर्गत एफसीआरए पंजीकरण निलंबित करने के संबंध में विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन

एफ.सी.आर.ए. 2010 के भाग 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को 180 दिनों की अवधि तक प्रमाण पत्र के रद्द होने तक पंजीकरण को निलंबित करने का अधिकार है। निलंबन के दौरान संस्था पूर्व अनुमति के बिना कोई विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकती। पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के संबंध में भाग 13 का प्रावधान इस प्रकार है:

(1) जहां केंद्र सरकार लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि भाग 14 के उपभाग (1) में उल्लिखित किसी भी आधार पर प्रमाणपत्र को रद्द किये जाने के प्रश्न पर लंबित विचार के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वह लिखित आदेश द्वारा एक सौ अस्सी दिनों तक के लिए प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकती है।

(2) हर वह व्यक्ति जिसका प्रमाण पत्र निलंबित है –

(क) प्रमाण पत्र के निलंबन की अवधि के दौरान विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं करेगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, अगर वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन, पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की गई हों, विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दें।

(ख) वह निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार को पूर्व अनुमति से अपने संरक्षण में मौजूद विदेशी योगदान का उपयोग करेगा।

निलंबन से पूर्व अपनी बात करने का अवसर और लिखित में कारण

एफ.सी.आर.ए. 2010 निलंबन आदेश जारी करने से पूर्व अपनी बात करने के अवसर की विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं करता। भाग 13(1) लिखित में कारण दर्ज करने का भी कोई प्रावधान नहीं करता। किन्तु प्रावधान में यह व्यवस्था है कि निलंबन के 180 दिनों की अवधि के दौरान संस्था को अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। 180 दिन पूरे होने पर, निष्कर्षों के आधार पर पंजीकरण को या तो रद्द किया जायेगा या बहाल किया जायेगा। इस प्रावधान से यह मुद्दा उभर कर सामने आता है कि क्या एफ.सी.आर.ए. विभाग अपनी बात करने का मौका दिये बिना या लिखित में कारण दिये बिना पंजीकरण को रद्द कर सकता है। कानूनी व्याख्या और न्यायिक पूर्वोदाहरणों के आधार पर ऐसा लगता है कि एफ.सी.आर.ए. विभाग अपनी बात करने का अवसर दिये बिना या लिखित में कारण बताये बिना पंजीकरण को निलंबित नहीं कर सकता।

अगर इस प्रावधान को सरल रूप में पढ़ें तो यह देखा जा सकता है कि भाग 13 में **"चाहे तो"** शब्दों का उपयोग किया गया जो नीचे दिये गये पाठ से स्पष्ट है।

"13 प्रमाण पत्र का निलंबन – (1) जहां केंद्र सरकार लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि भाग 14 के उप भाग (1) में उल्लिखित किसी भी आधार पर प्रमाणपत्र को रद्द किये जाने के प्रश्न पर लंबित विचार के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वह लिखित आदेश द्वारा एक सौ अस्सी दिनों तक के लिए प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकती है।

यहां **"कर सकती है"** शब्दों का आशय यह है कि इस कानून में विवेकाधिकर (डिस्क्रीशन) दिया गया है जिसका उपयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अगर एफ.सी.आर.ए. विभाग इस विवेकाधिकार का उपयोग करना चाहता है तो उसे अपनी बात रखने का अवसर देना होगा और लिखित में कारण बताने होंगे।

इंसाफ संस्था के मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय यह है कि भाग **13(1) की भाषा अपनी बात सुनाने का अवसर दिये और लिखित में कारण बताये बिना एफसीआरए विभाग को पंजीकरण निलंबित** करने का अधिकार नहीं देती।

इसलिए इस कानून का आशय यह है कि अगर केंद्र सरकार ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद इस पर विचार की है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह अपनी बात सुनाने का उचित अवसर देने के बाद प्रमाण पत्र को रद्द कर सकती है। यदि कानून के भाग 14 की दृष्टि से पंजीकरण को रद्द करने पर विचार करते समय सरकार संतुष्ट है कि प्रमाण पत्र को रद्द करना आवश्यक है तो वह 180 दिनों तक के लिए संस्था के प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकती है बशर्ते कि सरकार द्वारा इस निलंबन के कारण दर्ज किये गये हों।

इस बात को मानना होगा दिनांक 30.04.2013 का निलंबन आदेश जब तक जारी किया गया जब तक सरकार ने न तो भाग 14 के उप भाग (2) की दृष्टि से अपनी बात कहने का कोई नोटिस या कारण बताओ नोटिस जारी किया था और न ही उसने कोई जांच शुरू की थी। इसलिए कानून के भाग 13 के उप भाग (1) की दृष्टि से आवेदनकर्ता के प्रमाण पत्र को रद्द करने का कोई कारण समय नहीं आता। इसीलिए यह निलंबन कानून के इरादे या योजना के विपरीत था जिसमें इस प्रकार का निलंबन तभी करने की बात तभी की गई है जब पंजीकरण के रद्दीकरण का मुद्दा पहले से केंद्र सरकार के पास पहले से लंबित पड़ा हो।

निलंबन के कारण

यदि केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित के बारे में कोई जानकारी/ प्रमाण है तो निलंबन के बाद रद्द करने की कार्रवाइयां आरंभ की जा सकती हैं

(क) प्रमाणपत्रधारी ने पंजीकरण या उसके नवीकरण के आवेदन में या उसे संबंध में ऐसा वक्तव्य दिया है जो गलत या मिथ्या है; या

(ख) प्रमाणपत्रधारी ने प्रमाणपत्र या उसके नवीकरण की शर्तों का उल्लंघन किया है; या

(ग) केंद्र सरकार के विचार से जनहित में प्रमाणपत्र को रद्द करना जरूरी है या

(घ) प्रमाणपत्रधारी ने इस अधिनियम या इसके नियमों या इसके अंतर्गत किसी आदेश का उल्लंघन किया है; या

(ड) प्रमाणपत्रधारी पिछले दो वर्षों से समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी उचित कार्य में संलग्न नहीं है या निष्क्रिय हो गया है।

निलंबन के दौरान अनुपालन हेतु शर्तें

- जिस व्यक्ति का प्रमाणपत्र निलंबित हो गया है वह प्रमाणपत्र के निलंबन की अवधि के दौरान कोई विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं करेगा; ऐसा व्यक्ति पूर्व–अनुमति लेकर अनुदान प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर केंद्र सरकार यदि उपयुक्त समझे तो अपने द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर ऐसे व्यक्ति को विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है।
- ऐसा कोई व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया हो, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से अपने संरक्षण के विदेशी अनुदान का उपयोग नहीं करेगा।
- एफसीआरए 2011 के नियम 14 की दृष्टि से अगर पंजीकरण का प्रमाणपत्र निलंबित हो गया है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से उन घोषित उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए, जिनके लिए विदेशी अनुदान लिया गया है, अप्रयुक्त राशि के 25 प्रतिशत तक का व्यय किया जा सकता है। विदेशी अनुदान की बाकी 75 प्रतिशत अप्रयुक्त राशि का उपयोग पंजीकरण के प्रमाणपत्र के निलंबन के समाप्त होने के बाद ही किया जा सकेगा।

– (यह फिनांशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन द्वारा मानक और मानदंड का संक्षिप्त रूप है)

पृष्ठ 1 का शेष

राष्ट्रीय कंपनियों के उभार को देखा गया है, पर एक भी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्वैच्छिक संस्था नजर नहीं आती।

दूसरी ओर भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुभवों की भूमंडलीय स्तर पर काफी मांग है। विकास साझेदारी प्रशासन के गठन को भारत का स्वैच्छिक क्षेत्र आशा की एक किरण के रूप में देखता है जिससे हम अपने ज्ञान और सीखों को भूमंडलीय समुदायों के साथ बांट सकते हैं। डीपीए ने भी भारतीय स्वैच्छिक संस्थाओं को अपनी परियोजनाओं में शामिल करने की उत्सुकता दर्शाई है। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है – भारत के स्वैच्छिक संगठनों का एक डाटाबेस (आंकड़ा आधार) तैयार करना। फोरम ऑन इंटरनेशनल डिवेलपमेंटट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफआईडीसी) नाम के तरह संवाद और पारस्परिक संपर्क के लिए एक अनौपचारिक फोरम का गठन किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम्स (आरआईएस), वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी), प्रिया, ऑक्सफैम, और अन्य संस्थाएं शामिल हैं। इस फोरम ने हाल ही में उन भारतीय स्वैच्छिक संस्थाओं का पहला डाटा बैंक तैयार किया है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य का अनुभव है या जिन्होंने नये प्रकार के ऐसे कार्य किये हैं जिन्हें वे दूसरों के साथ बांट सकती हैं। आपने कुछ महीने पहले वाणी से प्रश्नावली प्राप्त की होगी। अगर आपको यह प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई है तो कृप्या हमें सूचित करें ताकि हम आपकी संस्था का प्रोफाइल विदेश मंत्रालय के पास भेज सकें।

इसी प्रकार, वाणी द्वारा किया गया यह हाल का अध्ययन जी–20, आईबीएसए या ब्रिक्स जैसे नवगठित अंतर्राष्ट्रीय फोरमों में कार्यावली को प्रभावित करने में भारतीय स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी का प्रश्न भी उठाता है। हर नई प्रेसीडेंसी (अध्यक्षता) के साथ इसे नया रूप तो मिलता है, पर बुनियादी मुद्दे वही रहते हैं। जिन संगठनों को जमीनी स्तर से लेकर भूमंडलीय स्तर तक का जबर्दस्त अनुभव है उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इन मंचों को जवाबदेह और प्रभावकारी बनाना आवश्यक है। जिन समुदायों के लिए हम काम करते हैं उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए हमें स्थिति आलेख तैयार करने होंगे। साथ ही स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रेरित करने की जरूरत है ताकि इन नये निर्मित भूमंडलीय मंचों पर विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी भागीदारियों की जवाबदेही की मांग की जा सके।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जीवन का मूल्य: 2015 के बाद के विश्व में शांति और मानव सुरक्षा

– पॉल ओकुमू

क्या एक देश में जीवन दूसरे देश में जीवन से कम मूल्यवान है? पॉल ओकुमू ने यह प्रश्न प्रस्तुत करते हुए यह छानबीन की है कि क्यों आज विश्व में 190 टकराव जीवनों को खतरे में डाल रहे हैं और समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं... और क्यों इसे लेकर अधिक आक्रोश नहीं उमड़ रहा है?

यूरोप के विकसित देशों उत्तरी अमेरिका और एशिया एवं लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मैंने जो संक्षिप्त यात्राएं की हैं, उनके दौरान मैंने ये सामान्य विशेषताएं देखी हैं।
– लोग जीवन को महत्व देते हैं
– हर जीवन
– व्यक्तिगत जीवन

इन देशों में लोग संख्याओं की बात नहीं करते। वे हर खो दिए गये जीवन के लिए नामों और संबंधों की बात करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जीवन को कितना महत्व दिया जाता है, किस तरह से एक खोया हुआ जीवन पूरे देश को आंसुओं में डूबो देता है और राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय के प्रत्युत्तर की पूरी श्रृंखला को अनुप्रेरित कर देता हैं और बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती।

अगर डेढ़ अरब लोगों का कोई महत्व नहीं है तो भला और किसका है? ऐसा क्यों है कि टकरावों से प्रभावित अरबों लोगों पिताओं, माताओं, पत्निओं और बच्चों – के जीवन विश्व के लिए क्यों महत्व नहीं रखते।

हिंसक टकराव का प्रमुख रूप इस तथ्य से उभरा है कि राष्ट्रीय सेनाएं एक दूसरे से असंख्य छोटे–छोटे युद्धों में जुटी हैं जिनमें न तो कोई अगली कतारें हैं, न युद्ध भूमियां हैं, न स्पष्ट टकराव क्षेत्र हैं और न ही सैनिक और नागरिकों के बीच कोई भेद रह गया है।

जिस समय आप इस लेख को पढ़ रहे हैं उस समय 59 देशों की महिलाएं, पुरुष और बच्चे विश्व में चल रहे 190 टकरावों से उपजी असुरक्षा की बजह से सामान्य जीवन जी पाने में असमर्थ हैं। आज अकेले अफ्रीकी और एशिया में 34 सरकारों के सामने यह दुविधा खड़ी है कि अपने नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें या टकरावों को जो मुख्यतः आंतरिक हैं और हमेशा राजनीतिक या निगमित लालच से जुड़े होते हैं – दूर करने के लिए अपने संसाधन व्यय करें।

हाल के दशकों में हिंसक टकरावों के स्वरूप में नाटकीय बदलाव आया है। हिंसक टकराव का प्रमुख रूप इस तथ्य से उभरा है कि राष्ट्रीय सेनाएं एक दूसरे से असंख्य छोटे–छोटे युद्धों में जुटी हैं जिनमें न तो कोई अगली कतारें हैं, न युद्ध भूमियां हैं, न स्पष्ट टकराव क्षेत्र हैं और न ही सैनिक और नागरिकों के बीच कोई भेद रह गया है।

दुःख की बात है कि टकरावों से प्रभावित लगभग सभी देशों की एक विशेषता है: विशाल प्राकृतिक संसाधन। सच तो यह है कि इनमें से कई अपनी पूरी आबादी का और बाकी हम सब की भी पेट भरने के लिए आसानी से पर्याप्त भोजन उत्पादन कर सकते हैं। पर दुःख की बात है कि वे खुद अपने संसाधनों का उपयोग नही कर सकते। बेकसूर नागरिक निगमित क्षेत्र की लालसा और लालच, राजनीति, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण, वैचारिक टकराव और कुशासन के मकड़जाल में फंसे हुए हैं।

शांति के बिना विकास असंभव है; ठीक जिस तरह विकास के बिना शांति असंभव है।

एक ऐसी मां से जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही है बस यह पूछें कि क्या बच्चों को स्कूल या यहां तक कि अस्पताल जाने देना सुरक्षित है। या फिर एक ऐसे युवक से पूछें जो एक टकराव संभावित शहर में काम की तलाश कर रहा है या निर्धनता से ग्रस्त देहाती क्षेत्र में रह रहा है – जहां सरकार ने बिजली की सुविधा प्रदान करने के बारे में सोचा तक नहीं है।

शांति, हिफाजत और सुरक्षा में जीने की समाज की योग्यता या क्षमता मात्र एक बुनियादी अधिकार नहीं हैं; बल्कि यह किसी भी विकास – कार्यावली की आधारशिला है। किसी भी समाज का

विकास – चाहे वह कितना ही विकसित और साधन संपन्न क्यों न हो – डर और असुरक्षा के वातावरण में नही हो सकता। मात्र एक टकराव देश को 15–20 वर्ष पीछे धकेल सकता है– जैसा कि विश्व बैंक की 2011 की विकास रिपोर्ट में कहा गया है।

टकराव गरीबी को और भी गहरा बनाता है। घोर गरीबी और असमानता कटुता और निराशा को बढ़ा देती है। मानव अधिकारों के उल्लंघन से डर और घृणा जन्म लेती है। जो शांति और विकास दोनों के लिए खतरा खड़ा कर देती है। यह एक ऐसा दुश्चक्र है जिसे हम अपने समाज की खातिर जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकते। शांति और विकास दोनों के लिए यह जरुरी है कि मानव अधिकारों और कानून के शासन का सम्मान किया जाये।

हमें बैठकर ईमानदारी से इस बात पर विचार करना होगा कि टकराव–प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे और उनके माता–पिता को हम क्या बता रहे हैं।

नागरिक समाज के रूप में हमारा विश्व से यह कहना है कि वह उस नुकसान पर विचार करे जो हम यह मान कर रहे हैं कि टकराव तो दूसरे लोगों के साथ ही घटित वाली घटना है। हमारे बुजुर्ग इस बात को बेहतर ढंग से जानते थेः एक लोकप्रिय अफ्रीकी कहावत है – निर्धनता के समुद्र के बीच संपदा और दौलत का द्वीप जल्दी ही पूरे द्वीप को प्रदूषित कर देता है। एक देश के घाटे दूसरे देशों को भी प्रभावित करते हैं – चाहे वह आर्थिक और वित्तीय संपर्कों की वजह से हों; प्रवास, शरणार्थियों, विस्थापित आबादियों, आतंकवाद, समुद्री डकैतियों, संगठित अपराधों की वजह से हो या फिर मानव तस्करी और हथियारों की व्यापार की वजह से हों। क्रमिक भूमंडलीकरण राष्ट्रों के आर–पार इन प्रभावों को बढ़ा देता है।

इन्हीं कारणों से यह जरूरी हो जाता है कि 2015 के बाद की विकास कार्यावली के केंद्र में शांति, मानव सुरक्षा और डर से मुक्ति हो। हमें हर किसी के लिए न्याय और सम्पन्नता को एक वास्तविकता बनाना होगा क्योंकि हम जीवन और शालीनता का सम्मान करते हैं।

शांति और सुरक्षा, विकास और मानव अधिकार राष्ट्र संघ प्रणाली के स्तंभ और सामूहिक सुरक्षा एवं कल्याण के आधार हैं। फिर ये राष्ट्र संघ चालित विकास कार्यावली का स्तंभ क्यों नहीं बन सकते।

इस उद्देश्य से 2015 के बाद की कार्यावली को निम्नलिखित को प्रोत्साहित और पोषित करना चाहिएः

- ऐसी कार्यशील संस्थाएं जो सम्मान और सामाजिक न्याय के साथ लोगों की जरूरतों को पूरा करें;
- ऐसे कार्यतंत्र जो संसाधन नियंत्रण के लिए संघर्षों का सामना करने वाले देशों की सहायता करें;
- सभी विकास पक्षों की ओर से जवाबदेही
- राज्य के मामलों में समाज की प्रभावकारी भागीदारी
- रोजगार जनन और सामाजिक न्याय
- ऐसे व्यवस्थागत ढांचे जो मानव सुरक्षा और सामाजिक मेलजोल को संभव बनायें
- समावेशपूर्ण राज्य समाज संवाद
- एक ऐसा वातावरण जिसमें लोग आजादी के साथ रह सकें और अपने संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण कायम रख सकें।

2015 के बाद की कार्यावली के लिए शांति और सुरक्षा का महत्व डेढ़ अरब लोगों की वजह से नहीं है। इनका महत्व इसलिए है कि हर जीवन महत्वपूर्ण है। और अगर हम यह मौका गंवा देंगे तो हम पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियों को पीछे धकेल देंगे।

– पॉल आकुमू सिद्धांतनिष्ठ साझेदारी पर अफ्रीका सीएसओ प्लेटफॉर्म (एसीपी) के सचिवालय के प्रमुख और सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म ऑन पीसबिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग के केंद्रीय समूह के सदस्य हैं। शांति और मानव सुरक्षा को किस प्रकार 2015 की कार्यावली में शामिल किया जा सकता है इस विषय पर पॉल ने यह नागरिक समाज दस्तावेज राष्ट्र संघ उच्च स्तरीय पैनल के सामने प्रस्तुत किया है। आप भी यहां इस वक्तव्य की पुष्टि कर सकते हैं।

स्वैच्छिक नेतृत्व की आवाज : सुब्रत दास

सुब्रत राय इस समय सेंटर फार बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) के कार्यकारी निदेशक हैं। इससे पूर्व उन्होंने दो वर्ष तक इस संस्था के समन्वयक के रूप में कार्य किया। पहले वह सीबीजीए की शोध टीम के सदस्य थे और उन्होंने प्राकृतिक विपदाओं के संबंधित भारत की सार्वजनिक नीति, सामाजिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय, आबादी के पिछड़े तबकों के प्रति बजट की उत्तरदायिता, देश की बजटीय प्रक्रियाओं की रुकावटें आदि विषयों पर कार्य किया। उन्होंने आर्थिक अध्ययन और नियोजन केंद्र, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया।

1. इस क्षेत्र में संबंध में आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है?

मैं पिछले 11 वर्ष से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं । मैंने केवल सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) के लिए काम किया है और अगस्त 2010 से इस संस्था का नेतृत्व कर रहा हूं। इस क्षेत्र में मेरा अनुभव काफी प्रेरणाप्रद रहा है; यह क्षेत्र लोगों को व्यक्तिगत प्रयास द्वारा समाज के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने के व्यापक अवसर प्रदान करता है। आजकल इस तरह का अवसर कम ही प्राप्त होता है। यह क्षेत्र समाज में योगदान करने के अकादमिक क्षेत्र से भी अधिक अवसर प्रदान करता और इस क्षेत्र के बारे में यही सबसे अच्छी बात है।

2. आप इस क्षेत्र में क्यों शामिल हुए?

जब 2002 में मैं इस क्षेत्र में शामिल हुआ तो मुझे इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी; मुझे इस संबंध में भी स्पष्टता नहीं थी कि सीबीजीए एक नया संगठन है। पर बाद में संस्था में काम करने के बाद मुझे यह स्पष्टता हुई। धीरे–धीरे करके मुझे पता चला कि मेरी दिलचस्पी तकनीकी अवधारणाओं को सरल रूप प्रदान कर उन्हें आम लोगों को या गैर–तकनीकी लोगों को उपलब्ध कराने में है। मैंने महसूस किया कि विशेषकर बजट और नीति के क्षेत्र में इस तरह के कौशलों की काफी मांग रही है। मैं संस्था के प्रयासों और साथ ही सीबीजीए के कई अन्य हितधारकों के प्रयासों में योगदान करने में सफल रहा। तो ये वे कुछ बातें थीं जिन्होंने मुझे सीबीजीए या इस क्षेत्र के साथ जुड़े रहने को प्रेरित किया।

3. इस क्षेत्र के बारे में आपकी सोच क्या है?

मैंने प्रयासों की दृष्टि से सेवा प्रदायगी से नीतिगत एडवोकेसी और सहभागितापूर्ण जनतंत्र की ओर एक झुकाव आता देखा है लगभग 10–12 वर्ष पहले इस क्षेत्र की कुछ संस्थाएं ही

सार्वजनिक नीति, सरकारी वित्त और अभिशासन के मुद्दों के बारे में गंभीरता से सोचती थीं। अब कई संस्थाओं, स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संस्थाओं में स्थिति बदल गई है और वे सार्वजनिक नीति, अभिशासन, और बजट के मुद्दों को गंभीरता से ले रही हैं जोकि एक स्वागत–योग्य बदलाव है।

इस क्षेत्र में मानव संसाधनों की क्षमता को बढ़ाने हेतु और अधिक निवेश करने की जरूरत है। पहले वाले दृष्टिकोण के अंतर्गत जब संस्थाएं सेवा प्रदायगी पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थीं – गैर–कुशल मानव संसाधनों की जरूरत होती थी, पर अब नीति, अभिशासन के मुद्दों और सरकारी वित्त में अधिक भागीदारी के साथ–साथ ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन मुद्दों को समझ सकें, इनके बारे में लिख सकें, विचार–विमर्श कर सकें और पैरवी कर सकें। तो इस तरह इस क्षेत्र की संस्थाओं को मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाने पर काफी अधिक निवेश करने की जरूरत है।

इस क्षेत्र के संबंध में मेरी दूसरी टिप्पणी यह है कि सामाजिक आंदोलनों, समुदाय आधारित संगठनों और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। इस समय उनके बीच बहुत अच्छा समन्वय नहीं है; इससे

प्रयासों का दोहराव होता है। कभी–कभी जब अनेक संस्थाएं, सहमेल और अभियान थोड़ी अलग–अलग स्थितियां अपनाते हैं तो यह इस क्षेत्र के लिए समस्याजनक बन जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र के विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय हो।

संस्थाओं को प्रासंगिक ज्ञान के जनन के लिए और मजबूत प्रयास करने चाहिए क्योंकि एडवोकेसी और अभियान पर काफी अधिक जोर दिया जा रहा है। एडवोकेसी और ज्ञान ठोस ज्ञान और जानकारी पर आधारित होने चाहिए। पहले संस्थाएं यह अपेक्षा करके चलती थीं कि उन्हें तकनीकी जानकारी और ज्ञान अकादमिक क्षेत्र और संचार माध्यमों से प्राप्त होगा। अब समय आ गया है कि संस्थाएं ज्ञान और जानकारी का जनन स्वयं करें और इनके लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर न रहें।

जहां तक निधिपोषण (फंडिंग) की गतिशीलता का सवाल है, कई संस्थाएं मुख्यतः विदेशी निधियों पर निर्भर करती हैं; इसलिए इस क्षेत्र के लिए और अधिक भारतीय निधियां जुटाने के प्रयास किये जाने चाहिए। अगर हम भारतीय निधियों का उपयोग करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी, पर इन मुद्दों को लेकर और विशेषकर नीतिगत एडवोकेसी को लकर भारतीय निधियां प्राप्त करना बहुत कठिन है। सीबीजीए सहित कई संस्थाएं विदेशी निधियों का उपयोग करती हैं; पर वे अपने सिद्धांतों को लेकर समझौता नहीं करतीं। इसके बावजूद आप लोगों में इस क्षेत्र की यह छवि बनी हुई है कि वह विदेशी निधियों से चालित है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस संबंध में भारतीय निधियों पर अधिक निर्भरता एक समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं।

अंत में मेरा यह कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में आयकर कानून और एफ.सी.आर.ए. के प्रावधानों की दृष्टि से इस क्षेत्र के नियमनकारी वातावरण को अनावश्यक रूप से कठोर बनाया गया है। मेरे विचार से नियमनकारी कार्यतंत्र जरूरी है; पर पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इसे बिना किसी मजबूत आधार के बहुत ही कठोर बना दिया है और इसकी वजह से इस क्षेत्र के प्रयासों पर दबाव पड़ रहा है।

4. इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में आपके क्या सुझाव हैं?

इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में मेरे सुझाव इस प्रकार हैं:

- **नियमनकारी वातावरण में सुधार के लिए एडवोकेसी:** वाणी जैसी संस्थाओं और उस जैसे मंचों के नेतृत्व में इस क्षेत्र को नियमनकारी वातावरण में सुधार के लिए मिलकर एडवोकेसी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत राजनीतिक कार्यकलापों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसलिए सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक विचारों वाली संस्था और चुनावी राजनीति में सक्रिय भाग लेने वाली संस्था के बीच अंतर करना चाहिए।

जहां तक निधिपोषण (फंडिंग) की गतिशीलता का सवाल है, कई संस्थाएं मुख्यतः विदेशी निधियों पर निर्भर करती हैं; इसलिए इस क्षेत्र के लिए और अधिक भारतीय निधियां जुटाने के प्रयास किये जाने चाहिए। अगर हम भारतीय निधियों का उपयोग करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी, पर इन मुद्दों को लेकर और विशेषकर नीतिगत एडवोकेसी को लेकर भारतीय निधियां प्राप्त करना बहुत कठिन है।

- **भारतीय निधियों को बढ़ाने की जरूरत :** हमें इस क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली निधियों में भारतीय निधियों का हिस्सा बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत है।

- **ज्ञान–आधारित प्रयास –** मेरा तीसरा सुझाव यह है कि हमारे अभियान और एडवोकेसी को ज्ञान और सूचना पर मजबूती से आधारित होना चाहिए।

- **बेहतर समन्वय –** मेरा अंतिम सुझाव यह है कि प्रयासों के दोहराव से और नीतिगत पैरवी संदेशों में असंगतता से बचने के लिए सामाजिक आंदोलनों, समुदाय – आधारित संस्थाओं और नागरिक समाज संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में संस्थाओं को खुद अधिक जनतांत्रिक होना चाहिए।

– यहां प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत हैं; वाणी के शोध और प्रलेखन अधिकारी, एस.एम. जकी अहमद द्वारा लिया गया साक्षात्कार

संस्था का परिचयः चाइल्ड नीड इंस्टीट्यूशन (सिनी)

चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) भारत की एक गैर लाभकारी सामाजिक विकास संस्था है। यह संस्था सर्वाधिक सीमांतीकृत और फिर भी अब तक मुख्यतः असेवित समुदायों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए अपने समेकित और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के साथ 50 लाख से अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। इसकी शुरूआत 1974 में बालचिकित्सा विज्ञानी और संस्थापक निदेशक, डॉ समीर चौधरी के मार्गदर्शन में हुई थी और पिछले चार दशक से भी अधिक समय से यह असुरक्षा की स्थितियों में जीने वाली महिलाओं, बच्चों और युवा लोगों के लिए बेहतर और सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिनी ने मानव विकास के चार मुख्य स्तंभों – शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण – को मजबूत बनाने में योगदान की प्रमुख प्रतिबद्धताओं के साथ समग्रतापूर्ण पद्धति विकसित की है। अपने 1300 पेशेवर कर्मियों के बहुविषयी कार्यदल के साथ सिनी लगातार सीमांतीकृत समूहों के बुनियादी अधिकारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके सशक्तीकरण के लिए कार्य करती रही है।

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम, 2009" को समर्थन देने का संकल्प किया है। इसलिए चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) का यह प्रयास है कि वह उन बच्चों तक पहुंच बनाये जो या तो शिक्षा की मुख्यधारा में नहीं हैं या फिर विपरीत सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की वजह से जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से अलग होने का खतरा है। अपने इस प्रयास में सिनी ने अनेक विद्यालय अधिकारियों और शिक्षकों, विद्यालय समितियों, परिवारों, बाल समूहों और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्रामीण पंचायत संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझेदारियां बनाई हैं।

cini

मां की मदद
बच्चे की मदद है...

मिशनः

"बच्चों, किशोरियों और महिलाओं, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण के मामले में स्थिरतापूर्ण विकास की जरुरत है"

अपनी इस यात्रा में अपने प्रयासों में सिनी संस्था कभी अकेली नहीं रही क्योंकि उसके प्रयास स्वयं सहायता समूहों, समुदायों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्थानीय सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मियों तथा सभी हितधारकों के साथ कार्य करने के विजन और मूल्यों से परिचालित रहे हैं।

सिनी के कार्य के मुख्य विषयगत क्षेत्रः

कुपोषण से निबटने पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित से अपने कार्य की शुरूआत करते हुए सिनी के कार्यक्रमों ने अपने क्षेत्र को व्यापक बनाया है और वे समुदायों को बदलती जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तथा नीतिगत वातावरण विकसित कर रहे हैं। संस्था के अधिकतर कार्यक्रम इन चार प्राथमिकतापूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं – **क) शिक्षा, ख) संरक्षण, ग) स्वास्थ्य, और घ) पोषण। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन** को हाल में एक नये क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है और इसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में परिकल्पित किया गया है।

शिक्षाः सिनी ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य के साथ **"निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम, 2009"** को समर्थन देने का संकल्प किया है। इसलिए चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) का यह प्रयास है कि वह उन बच्चों तक पहुंच बनाये जो या तो शिक्षा की मुख्यधारा में नहीं हैं या फिर विपरीत सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की वजह से जिनके शिक्षा की मुख्य धारा से अलग होने का खतरा है। अपने इस प्रयास में सिनी ने अनेक विद्यालय

अधिकारियों और शिक्षकों, विद्यालय समितियों, परिवारों, बाल समूहों और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्रामीण पंचायत संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझेदारियां बनाई हैं। इसके अलावा चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) द्वारा उपचारी शिक्षा केंद्र भी चलाये जा रहे हैं। इनसे बच्चों को प्रभावकारी तरीके से स्कूल की पढ़ाई करने में मदद मिलती है और उनके अपने कौशल भी मजबूत होते हैं। बाल मैत्रीपूर्ण स्कूलों (सीएफएस) को प्रोन्नत किया जाता है ताकि स्कूल शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों की अबसंरचना स्थापित करने और सभी बच्चों के लिए शिक्षा का वातावरण तैयार करने हेतु कदम उठाने के लिए प्रेरणा मिले।

संरक्षण : 1980 के दशक के उत्तरार्ध से सिनी संस्था उन बच्चों के लिए कार्य करती आ रही है जो विशेष रूप से शोषण का शिकार बन सकते हैं। इन बच्चों में गली–कूचों, रेलवे स्टेशनों, रेडलाइट क्षेत्रों में रहने वाले, घर से भागे हुए, परिवार से बिछुड़ चुके, अपहरण, यौन हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा के शिकार बच्चे शामिल हैं। सिनी ने संस्था आधारित सेवाओं के माध्यम से 5000 बच्चों और समुदाय आधारित सेवाओं के माध्यम से 21500 बच्चों को संरक्षण सेवाएं प्रदान करती हैं इन सेवाओं के क्षेत्रों में रेड लाइट इलाके, बस स्टापों और स्टेशनों के इर्दगिर्द के इलाके, झोंपड़पट्टियां, आदि शामिल हैं। इन स्थानों में सिनी संस्था अनेक अस्थायी आश्रय गृह चलाती है। इससे इन वच्चों को वापस अपने परिवारों के पास लौटने में मदद मिलती है। इसके अलावा सिनी संस्था पश्चिम बंगाल में निःशुल्क टेलिफोन हेल्पलाइन के माध्यम से मुसीबत में पड़े बच्चों आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। इन हेल्पलाइन पर बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी की सूचना दी जा सकती है। इसके साथ ही चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) संस्था किशोर–किशोरियों और एचआईवी – एड्स से प्रभावित लोगों को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए भी एक हेल्प लाइन संचालित करती है।

स्वास्थ्य: भारत के प्रभावशाली आर्थिक विकास के बावजूद दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और अन्य सीमांतीकृत समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समयोचित स्वास्थ्य देखरेख सहायता तक पहुंच अभी भी वास्तविकता से कोसों दूर है। स्वास्थ्य हकदारियों और सेवाओं के बारे में ज्ञान और आवाज न रखने वाले स्थानीय समुदायों और असुरक्षित समुदायों की जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझ कौशलों से रहित सेवा प्रदाताओं के बीच बढ़ती हुई देरी मौजूद है। सिनी इस

लागत वाले हस्तक्षेपों के प्रभावकारी परिणामों ने भारत की विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वाधिक असेवित समुदायों तक पहुंच बनाने के अग्रणी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर प्रकार के कुपोषण में कमी लाने के लिए अपने हस्तक्षेपों में इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

अंतर को दूर करने और वर्तमान सेवाओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए परिवार, समुदाय, संस्थागत और सरकार के स्तरों पर कार्य करता है। समुदाय के स्तर पर संस्था जहां स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं और हकदारियों के बारे में जानकारी, ज्ञान और सुलभ करने की क्षमता प्रदान कर समुदायों का सशक्तीकरण करती हैं, वहीं वह सेवा प्रदाता कर्मियों को समुदाय की जरूरतों की समझ प्रदान करती है और क्षमता निर्माण पहलकदमियों द्वारा इन जरूरतों को पूरा करने के प्रभावकारी दृष्टिकोण विकसित करती है। संस्था जमीनी स्तर पर कर्मियों को स्वास्थ्य देखरेखकर्ताओं के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों (गर्भावस्था, प्रसवोत्तर अवस्था, आरंभिक बालपन और किशोरावस्था) को सुरक्षित बनाने के उनके प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा सिनी द्वारा एचआईवी और एड्स के साथ जीने वाले और प्रभावित लोगों के लिए भी रोकथाम, देखरेख और सहायता सेवाएं प्रदान करते हुए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पोषण : अपनी स्थापना के समय से ही सिनी ने बच्चों की जीविका और विकास के लिए कुपोषण की पहचान एक प्रमुख खतरे के रूप में की है। इसलिए संस्था ने कुपोषण की रोकथाम और उन्मूलन को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। सिनी का दृढ़ता से यह मानना है कि जीवन चक्र के पहले 1000 महत्वपूर्ण दिनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अवधि गर्भधारण से लेकर बच्चे के जीवन के पहले दो वर्षों तक की होती है। इस संदर्भ में सिनी द्वारा किये गये हस्तक्षेपों के अंतर्गत बच्चों,

किशोर–किशोरियों और गर्भवती महिलाओं मे कुपोषण के विभिन्न निर्धारिक तत्वों को लेकर काम किया गया है। इनमें स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता, स्तनपान सहित आहार देने के उपयुक्त तौर–तरीके, शारीरिक विकास की मॉनीटरिंग और निम्न लागत का घर में बना भोजन, जेंडर समानता आदि जैसे निर्धारिक तत्व शामिल हैं। समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के अलावा संस्था गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए एक दिवसकालीन देखरेख पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) भी संचालित करती है। इन निम्न लागत वाले हस्तक्षेपों के प्रभावकारी परिणामों ने भारत की विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वाधिक असेवित समुदायों तक पहुंच बनाने के अग्रणी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर प्रकार के कुपोषण में कमी लाने के लिए अपने हस्तक्षेपों में इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

सिनी संस्था कहां–कहां काम करती है: सिनी द्वारा भारत के तीन राज्यों – पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ – में प्रमुख कार्य किया जा रहा है। यहां मुख्य सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संस्थाओं और स्थानीय स्वशासी निकायों के साथ साझेदारी में सीधे–सीधे समुदाय आधारित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय संसाधन केंद्र के रूप में सिनी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर क्षेत्र कार्यक्रमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन करते हुए 19 जिलों में 16 मातृ गैर–सरकारी संस्थाओं और 75 क्षेत्र गैर–सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रही है। झारखंड में सिनी मुख्यतः चार जिलों में ध्यान केंद्रित कर रही है पर एडवोकेसी जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और नेटवर्किंग की अपनी पहलकदमियों के माध्यम से सभी 24 जिलों में सहायता प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़ में सिनी का कार्य 18 जिलों में फैला है। इन राज्यों के अलावा सिनी ओडिशा, मध्य प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा साथ ही भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पिछले चार दशकों में सिनी द्वारा हासिल प्रमुख उपलब्धियों

- **2013:** एनजीओ श्रेष्ठता के लिए हार्वर्ड अमरीका भारत (एचयूआईआई) पुरस्कार
- **2011:** आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा भारत स्वास्थ्य देखरेख पुरस्कार
- **2011:** प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ का श्रेष्ठता पुरस्कार
- **2008:** वार्षिक रोटरी इंडिया पुरस्कार (बाल मृत्यु दर को कम करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान के लिए।
- **2008:** एलिस आइलैंड सम्मान मैडल अमेरिका (सिनी के निदेशक और संस्थापक डॉ. समीर चौधरी को)
- **2007:** वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन पुरस्कार (सिनी के निदेशक और संस्थापक डॉ. समीर चौधरी को)
- **2005:** शिशुओं के लिए इटैलियन संसदीय, डॉ. समीर चौधरी को)
- **2004:** बाल कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार (सिनी अकेली संस्था है जिसने यह पुरस्कार दो बार जीता है)
- **1994:** एलेन फींस्टीन हंगर एवार्ड, ब्राउन विश्वविद्यालय, अमेरिका
- **1991:** जल मोदी अनुदान, कलकत्ता रोटरी क्लब
- **1991:** इंटरनेशनल सेंटर फार डिवेलपमेंट आफ कल्चर आफ पीपल, जेनोआ, इटली की ओर से लिगुरिआ पुरस्कार
- **1985:** बाल कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवार्ड

चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) दौलतपुर,
पो.ओ. पैलान, वाया जोका,
जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल 700 104, भारत
वेबसाइट: http://www.cini-india.org/ ईमेल: cini@cinindia.org

राज्य की स्थिति : पश्चिम बंगाल

– पश्चिम बंगाल पर वाणी द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भू क्षेत्र के हिसाब से यह देश के राज्यों में 13वें स्थान पर है। लगभग 88,750 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और बंगलादेश देशों और भारतीय राज्यों, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगी हैं। पश्चिम बंगाल के दो बड़े प्राकृतिक क्षेत्र हैं। दक्षिण में गंगा के मैदानी क्षेत्र और उत्तर में हिमालयी क्षेत्र। पश्चिम बंगाल भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है उत्तर में हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण में समुद्र है। तथा मैदानी क्षेत्र और पठार बाकी क्षेत्र को घेरे हुए है। पश्चिम बंगाल मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य हैं राज्य में जो उद्योग फले फूले हैं उनमें जूट उद्योग, दुर्गापुर में इस्पात का कारखाना, चाय, चीनी, रसायन और उर्वरक जैसे विनिर्माण उद्योग शामिल हैं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय–उत्पादक राज्य है और यहां भारत के कुल चाय उत्पादन का 24 प्रतिशत उत्पादन होता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति

एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत सहायता प्राप्त एजेंसियों की जिलावार सूची से पता चलता है 24 परगना जिले में सबसे अधिक अर्थात 994 संस्थाएं हैं जो ऐसी कुल संस्थाओं का 29.92 प्रतिशत हैं। इसके बाद एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत सबसे अधिक संस्थाएं कोलकाता (846) और मिदनापुर (452) में हैं। एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं की पूर्ण सूची इस प्रकार है:

पश्चिम बंगाल में एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं की जिलावार संख्या

जिला	एनजीओज की संख्या	जिला	एनजीओज की संख्या
24 परगना (द.और उ.)	994	जलपईगुड़ी	58
बेलूरघाट	01	कोलकाता	846
बंकुड़ा	65	माल्डा	65
बीरभूम	56	मिदनापुर	452
बर्दवान	105	मुर्शिदाबाद	91
कूचविहार	20	नाडिया	98
दक्षिण दीनाजपुर	20	पुरूलिया	44
दार्जीलिंग	109	सियालदह	एन/ए
दुर्गापुर	एन/ए	सिलिगुडी	05
हुगली	109	उत्तर दीनाजपुर	25
हावड़ा	222	पश्चिम दीनाजपुर	18

[1] *http://fcraonline.nic.in/fc8_statewise.aspx*

राज्य में एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं की कुल संख्या 3,403 है। स्वैच्छिक संस्थाएं जन सशक्तीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की संख्या 3,679 है और पर्यावरण के मुद्दों पर 2,642 संस्थाएं जबकि महिला सशक्तीकरण को लेकर 2,371 संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित चुनौतियां

1. **निधियां प्राप्त करने में विलंबः** राज्य की संस्थाओं को निधियों को कमी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी और मंझोली संस्थाओं का कहना था कि सरकार से निधियां प्राप्त करने में विलंब होता है। परियोजना चक्र की शुरूआत के बाद छह महीने से लेकर एक वर्ष तक का विलंब होता है। इसका कारण निधियां जारी करने की प्रक्रिया है।

2. **लाइन विभागों द्वारा परेशान किया जानाः** संस्थाएं सोसाइटीज पंजीकरण कानून 1961 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। संस्थाओं के प्रति राज्य सरकार के अधिकारियों का रवैया अक्सर अनुत्तरदायी और अड़ियल होता। ब्लॉक और जिला अधिकारियों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का भी संस्थाओं को सामना करना पड़ता। इस प्रकार यह संपर्क संतोषप्रद नहीं होता।

3. **पहचान का संकटः** स्वैच्छिक संस्थाओं को पहचान के संकट का समाना करना पड़ रहा है और सरकारी अधिकारी समुदाय के मुद्दों और समस्याओं को प्रस्तुत करने के मामले में स्वैच्छिक पर विश्वास नहीं करते।

4. **निधियों में कटौतीः** विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली विदेशी निधियों में कटौती हुई है और स्वैच्छिक संस्थाओं को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एफ.सी.आर.ए. वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 के अनुसार, वर्ष 2010–2011 के दौरान 2015 संस्थाओं को 651.71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई । विदेशी योगदान के प्राप्त राशि का उपयोग संस्थागत व्यय के लिए, फिर ग्रामीण विकास, बच्चों के कल्याण, स्कूलों/कालेजों के निर्माण और रख रखाव के लिए तथा निर्धन/पात्र बच्चों को नकद और वस्तु के रूप में छात्रवृत्ति/सहायता प्रदान करने के लिए किया गया।

5. **विदेशी अनुदान की मात्रा में गिरावटः** पिछले पांच वर्षों में राज्य में निधियों की राशि में काफी गिरावट आई है। बहुपक्षीय एजेंसियों ने तो देश से हाथ पहले ही खींच लिये हैं जिसका कारण देश की नीति में आया बदलाव है। संख्या और मात्रा दोनों ही दृष्टिओं से निधिदान स्रोतों की कमी ने विकास मुद्दों पर कार्य करने की स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाला है।

6. **क्षेत्र की विश्वसनीयताः** कुछ थोड़े से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधियों के दुरूप्योग की वजह से पूरे स्वैच्छिक क्षेत्र की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। इस समय ऐसा कोई सर्वमान्य विश्वसनीयता श्रेणीकरण कार्यविधि मौजूद नहीं है जो अच्छी संस्थाओं को बुरी संस्थाओं से अलग कर सके। उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाली कुछ समुदाय आधारित संस्थाओं का मानना था कि उनकी विश्वसनीयता दांव पर लगी है और सरकारी प्रणाली के सामने अपने को वे असुरक्षित पाते हैं।

7. **एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएंः** एफ.सी.आर.ए. के अंत 3087 संस्थाएं पंजीकृत हैं। एफ.सी.आर.ए. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10 के अनुसार वर्ष 2009 में रिपोर्टिंग करने वाली संस्थाओं की संख्या 1821 थी और उन्हें 558.72 करोड़ रूपए की निधियां प्राप्त हुई थीं।

   इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1266 संस्थाएं नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इस तरह के कारणों से भी क्षेत्र की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसी संस्थाओं की जो रिर्टन फाइल नहीं कर रहीं और कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं कर रही हैं – गंभीर आलोचना हुई है।

8. **सरकार द्वारा थोपे गये कठोर नियमः** निधिदान अनुपालन और सरकार द्वारा जांच पड़ताल की प्रक्रिया दिन ब दिन कठोर होती जा रही है। सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान पर अपना नियंत्रण कसती जा रही है। सभी स्तरों पर मंजूरी लेने की प्रक्रिया बोझिल और लंबी होती जा रही है। एफसीआरए में किये गये संशोधनों की वजह से स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए विदेशी निधियां प्राप्त करना कठिन हो गया है। बहुत कम अनुदानकर्ता एजेंसियां ऐसी हैं जो अभिशासन आदि के लिए निधियां प्रदान करती हैं। इसका कारण यह भी है कि एफसीआरए 2010 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राजनीतिक कार्यकलापों में संलग्न

किसी भी संस्था को राजनीतिक प्रकृति की संस्था माना जायेगा। इन कार्यकलापों में अभियान चलाना, बंद ओजित करना रास्ता रोको, रेल रोको, जेल भरो आंदोलन चलाना, आदि शामिल हैं।

9. **निधियां प्राप्त करने की स्वैच्छिक संस्थाओं की और विशेषकर जमीनी स्तर की संस्थाओं की तकनीकी क्षमताएं :** वर्तमान परियोजना आधारित निधियां प्राप्त करना बहुत ही प्रतियोगितापूर्ण और तकनीकी बन चुका है। मंझोली और जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं के पास निधियां जुटाने, अनुदाता एजेंसियों के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रपोजल लिखने, मीडिया एडवोकेसी और परियोजना प्रबंधन के कौशल कम होते हैं।

10. **जानकारी का अभाव:** स्वैच्छिक संस्थाओं को क्या मानक प्रक्रियाएं अपनाने की जरूरत है, इस संबंध में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। सामान्यतः पंजीकरण के इच्छुक नये समूह किसी के हवाले या किसी संबंध के जरिये पंजीकरण कराते हैं। इस दृष्टिकोण के अपने फायदे और नुकसान हैं। लाभ यह है कि इच्छुक समूह अनुभव के लाभ प्राप्त कर सकता है, पर साथ दी जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता कभी–कभी संदेहास्पद होती है। जानकारी के अभाव की वजह से भ्रम और विलंब होता है।

11. **अनुदान की लंबी प्रक्रिया और अत्यधिक कागजी कार्रवाई:** सरकार के अनुदान के संदर्भ में प्रक्रिया को कठोर बना दिया है इसके लिए लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और आवेदन स्वैच्छिक संस्था को दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

12. **क्षेत्र की पहचान:** स्वैच्छिक क्षेत्र ने समुदाय और समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। स्वैच्छिक संस्थाएं सीमांतीकृत लोगों और निर्धनों के संवेदीकरण और सशक्तीकरण के कार्य में सक्रियता से संलग्न रही हैं। अधिकतर मामलों में समुदाय और स्थानीय लोग स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकलापों को मान्यता देते हैं क्योंकि इनसे स्वास्थ्य, साक्षरता और आजीविक साधनों में सुधार आता है। पर मोटे तौर पर समाज में स्वैच्छिक संस्थाओं की छवि इतनी उजागर रूप में नजर नहीं आती।

13. **स्वैच्छिक संस्थाओं के भीतर वैचारिक अंतर:** अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाएं अपने–अपने विशेष क्षेत्रों में काम करती हैं और आपस में अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ नहीं बांटतीं। उनके बीच काफी अधिक प्रतियोगिता और एकता का अभाव है। उनमें एकता के अभाव और उनके विखंडित स्वरूप के कारण राज्य सरकार और अन्य हितधारक उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते।

14. स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग और सामूहिक आवाज का अभाव है जिसके कारण मॉनीटरिंग, संप्रेषण और संकेंद्रित कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।

सिफारिशें

1. **वित्तपोषण (फंडिंग):** यह सिफारिश की जाती है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को आंतरिक संसाधन तैयार करने चाहिए, संसाधन लामबंद करने चाहिए और प्रतिशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि के माध्यम से आय जनन करना चाहिए तथा सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए क्योंकि निधियों के स्रोतो में बदलाव आया है और प्रमुख अनुदानकर्ता पश्चिम बंगाल को छोड़ अब ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे पिछड़े और अन्य विकसित राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
2. **क्षमता निर्माण:** जमीनी स्तर की संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं, पर कौशलों के अभाव में उन्हें रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कार्यकलापों के अनुसार उन्हें समय पर निधियां/अनुदान प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि पेशेवर मानव संसाधनों युक्त बड़ी संस्थाएं जमीनी स्तर की संस्थाओं की सहायता करें।
3. **राज्य स्तर के नेटवर्क:** जिन संस्थाओं का साक्षात्कार लिया गया उनका कहना था कि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक राज्य स्तरीय फोरम की जरूरत है। इस समय संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग नहीं है और वे अलग– थलग रह कर कार्य करतीं हैं उनकी सिफारिश थी कि पश्चिम बंगाल में नेटवर्किंग में सहायता करने के लिए वाणी को हस्तक्षेप करना चाहिए।
4. **संस्थाओं के बीच सहायोग:** अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ और जेंडर संबंधी मुद्दों पर कार्य करने वाली संस्थाओं को नशीली दवा की लत, मदिरापान और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों को हल करने में जबर्दस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों को निबटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रवैया समस्या खड़ी करता है जिससे मामलों के पंजीकरण मुकदमे की प्रक्रिया और न्याय प्राप्त करने में बाधा आती है। इसलिए संस्थाओं को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका को संकेदित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ एडवोकेसी और लॉबीइंग करनी चाहिए।
5. **आपसी वैचारिक आदान–प्रदान और सीख:** क्षेत्र की सकारात्मक छवि बनाने के लिए संस्थाओं को उपलब्धियों में एक दूसरे की साझेदारी करनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वाणी द्वारा तय की गई रणनीति को नियमित रूप से अपनाना चाहिए स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में जानकारी को सरल भाषा में अपने साझेदारों को बताना चाहिए।
6. **समय पर निधियां जारी किया जाना:** कई जमीनी स्तर की संस्थाओं को राज्य सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं पर वर्तमान सरकारी कार्य–प्रक्रियाओं की वजह से योजनाओं को मंजूरी और निधियों को जारी करने में विलंब होता है। पहली किश्त 5–6 महीने के बाद जारी की जाती है और संस्थाओं को स्पष्ट रूप से यह कहना था कि पिछले 10–12 वर्षों से उनके कार्य का रिकार्ड शानदार रहा है। राज्य सरकार को पहली किश्त उनके कार्य के रिकार्ड के आधार पर करनी चाहिए और कार्यकलापों तथा दस्तावेजों के आधार पर दूसरी और उसके बाद की किश्तें जारी करनी चाहिए।
7. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** स्वैच्छिक संस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेही होना चाहिए और निधियों की मंजूरी के लिए गलत तौर–तरीके नहीं अपनाने चाहिए। कुछ संस्थाओं के गलत व्यवहार की वजह से पूरे क्षेत्र की छवि पर आंच आती है।
8. **प्रभावकारी अनुश्रवण:** सरकार में समर्पित मानव संसाधन मौजूद हैं और संस्थाओं द्वारा निधियों के उपयोग का अनुश्रवण करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए सच्ची संस्थाओं को इससे लाभ होगा।
9. **राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र नीति बनाना:** सरकार और संस्थाओं को आपसी सहयोग से अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से एक राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र नीति तैयार करनी चाहिए। राज्य नीति तैयार करने के बाद उसके उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

– वाणी द्वारा किये गये पश्चिम बंगाल के शोध अध्ययन पर आधारित

शोध अध्ययन सहायता प्रभावकारिता पर चौथा उच्च स्तरीय फोरम (एचएलएफ4)

– वाणी का अध्ययन

चौथे उच्च स्तरीय सहायता प्रभावकारिता फोरम (एचएलएफ4) का आयोजन 29 नवम्बर से एक दिसंबर 2011 के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया।

बुसान का फोरम वर्ष 2003 में रोम में आयोजित पहले उच्च स्तरीय फोरम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विकास सहयोग

부산 세계개발원조총회
4th High Level Forum on Aid Effectiveness
29 Nov –1 Dec 2011, Busan, Korea

पर आयोजित बहुपक्षीय वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विश्व भर में सहायता प्रदान करने और विकास कार्यकलापों को आगे बढ़ाने तथा सभी हितधारकों के लिए भविष्य में सहायता और विकास की सामूहिक योजनाएं बनाने की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी।

नागरिक समाज के संगठनों के लिए एचएलएफ4 विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था क्योंकि इसने पहली बार इस बात को चिन्हित किया कि नागरिक समाज ने सरकार और अनुदानकर्ताओं के साथ–साथ सहायता प्रभावकारिता वार्ताओं में एक पूर्ण और समान हितधारक के रूप में भाग लिया। इस प्रकार यह जन संगठनों की दृष्टि से विकास सहयोग को प्रभावित करने का अवसर था। साथ ही यह निर्धनता के मूल कारणों को हल करने और मानव अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में तकनीकी सहायता प्रभावकारिता दृष्टिकोण से दीर्घकालिक स्थायित्व पर आधारित विकास प्रभावकारिता की दिशा में बदलाव को आगे बढ़ाने का अवसर भी था।

एचएलएफ 4 के उद्देश्य

- पेरिस और आकरा की प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में सहायता की गुणवत्ता के सुधार की स्थिति में भूमंडलीय प्रगति का आकलन करना;
- सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने में भूमंडलीय अनुभव का आदान–प्रदान करना; और
- निर्धनता में कमी लाने और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए भूमंडलीय रूप से और देशों के भीतर प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु बुसान परिणाम दस्तावेज पर सहमति हासिल करना।

एचएलएफ4 हितधारक और जनतांत्रिक स्वामित्व

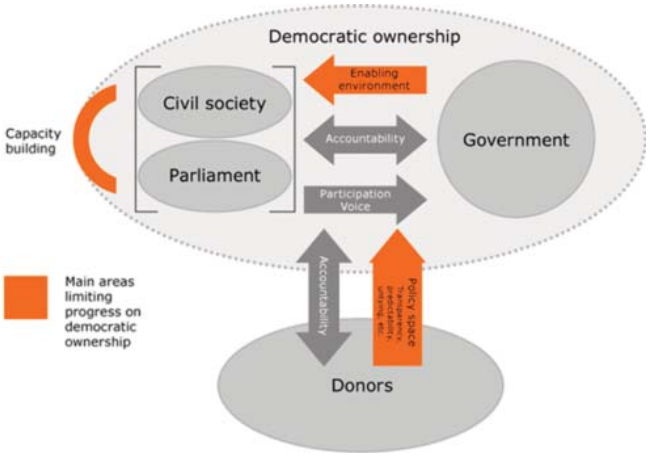

Source:http://cso-effectiveness.org/4th-high-level-forum-on-aid,080

नगरिक समाज के संगठनों के लिए

- बुसान घोषणा ने इस्ताम्बुल सम्मेलन के सिद्धांतों और सिएम रीप सहमत को ध्यान में रखा;
- इसमें नागरिक समाज के संगठनों के लिए समर्थकारी अधिकार–आधारित वातावरण का उल्लेख किया गया है।
- साथ ही समान भूमिका के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं है और ब्रिक्स योगदान स्वैच्छिक आधार पर है।

सीएसओ विकास प्रभावकारिता साझेदारी – सीपीईई का आरंभ:

विश्व भर के नागरिक समाज संगठनों ने कोंकोर्ड और सिविकस द्वारा आयोजित बैठक में 21 जून 2012 को ब्रूसेल्स में एक नये विकास प्रभावकारिता मंच की शुरूआत की। विकास प्रभावकारिता के लिए सीएसओ साझेदारी (सीपीडीई) एक खुला

Source: http://www.oecd.org/dev/devcom/45223738.pdf

मंच है जो विश्व भर के नागरिक समाज संगठनों को एकजुट करता है। इसका जन्म सहायता और विकास प्रभावकारिता एजेंडा में नागरिक समाज की भागीदारी से हुआ है।

यह दो मंचों – बैटर एड (वीए) और ओपन फोरम (ओएफ) अपने कार्य का जायजा लेने के बाद और नये नीतिगत संदर्भ में अधिक प्रभावकारी ढंग से संलग्न होने को मान्यता देने के बाद हुआ। सीपीडीई एक ऐसा सहमेल है जिसके लिए मुख्य आलेखों के साथ सहमति देने के अलावा, नागरिक समाज संगठनों को औपचारिक सदस्यता की जरूरत नहीं है।

सीपीईई की जरूरत : प्रभावकारी विकास सहयोग के लिए बुसान साझेदारी ने सहायता प्रभावकारिता से विकास प्रभावकारिता की ओर बदलाव को चिन्हित किया। साथ ही इसने निर्धनता में कमी लाने और मानव अधिकार, सहभागी जनतंत्र, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी न्याय एवं टिकाऊपन जेंडर समानता उत्तम कार्य, टिकाऊ बदलाव, शांति और सुरक्षा जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित किया।

विकास की बदलती प्रकृति ने भी गैर–सहायता आधारित विकास संबंधों की जरूरत पर पुनः बल दिया। सीएसओ साझेदारी प्रभावकारी विकास सहयोग का अंग है। उसके पास सरकारों तथा अनुदानकर्ताओं तथा साथ ही श्रमिक और धर्म आधारित संगठनों जैसे अन्य क्षेत्रों को संलग्न करने के ढांचे हैं।

सीपीडीई विशेषकर विकास सहयोग में विकास प्रभावकारिता को प्रोन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य बुसान साझेदारी में सार्थक और महत्वपूर्ण तरीके से नागरिक समाज के विभिन्न संगठनों को लामबंद करना है। इसके साथ ही सीपीडीई देश स्तर पर भी परिणाम सामने लाने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है।

सीपीडीई समग्र रूप से तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के एक मंच के रूप में स्वयं अपने कार्य में मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता (विशेषकर जेंडर समानता) और विकास में स्थायित्व हासिल करने के लिए कार्य करता है।

सीपीडीई का उद्देश्य निम्नलिखित परिणाम हासिल करना है:

- **बुसान में नागरिक समाज संगठनों की भावना के साथ एडवोकेसी प्रयासों को जारी रखना:** विकास के प्रति अधिकार–आधारित दृष्टिकोण और विशेषकर जनतांत्रिक स्वामित्व तथा नागरिक समाज के लिए समर्थकारी वातावरण सीएसओ साझेदारी मिशन के केंद्र में रहे हैं।
- **विकास सहयोग में विकास प्रभावकारिता पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करना:** इसके लिए मूल कारणों, तथा साथ ही निर्धनता, असमानता (विशेषकर जेंडर असमानता और मानव अधिकार), सीमांतीकरण, अन्याय और विकलांगता के मुद्दों को हल करने की जरूरत है।
- **नये अनुदानकर्ताओं को विकास सहयोग में पेरिस, आकरा और बुसान मंचों के प्रति जवाबदेह बनाना:** यह पैरवी करना कि नये अनुदानकर्ता और दक्षिण, दक्षिण सहायोग में संलग्न सरकारें पेरिस, आकरा और बुसान सम्मेलनों के सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें और सभी लोगों के मानव अधिकारों में योगदान करें।
- **विकास की चालक शक्तियों के रूप में आर्थिक संवृद्धि और निजी क्षेत्र को मुख्य धारणा को चुनौती देना** और साथ ही सीएसओ साझेदारी के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक दृष्टिकोण निरूपित करना। बुसान साझेदारी दस्तावेज आर्थिक संवृद्धि को विकास का ढांचा बनाये हुए है और व्यवसाय को जवाबदेह बनाते हैं और सभी के लिए उत्तम कार्य को प्रोन्नत करता है।
- अपने विजन, मूल्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भूमंडलीय साझेदारी से उभरे कार्य के नये क्षेत्रों को प्रभावित करना।
- सहायता और विकास प्रभावकारिता के बदलते स्वरूप और समझ को प्रभावित करने के लिए इन मुख्य प्रश्नों के इर्द गिर्द सीएसओ साझेदारी लामबंद करना, पहुंच बनाना और पैरवी करना जारी रखेगी।

सभी स्तरों पर सीपीडीई की नीतिगत संलग्नता और कार्य: सीपीडीई अपने कार्य को सतत रूप से इस प्रकार आयोजित करता है कि वह देश केंद्रित रहे; और यह सुनिश्चित करता है कि उप–क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर ढांचे और समूह इस कार्य को आगे बढ़ायें।

सभी स्तरों पर सेक्टोरल कार्य क्षेत्रों और प्रमुख समूहों की संलग्नता: सीपीडीई पूरी तरह से उन विषयगत और सेक्टर समूहों के महत्व को स्वीकार करता है जिनकी विशेषज्ञता को हर स्तर पर महत्व दिया जाता है। सेक्टर विशेषकर जमीनी स्तर तक पहुंच बनाने और हमारे कार्य में अधिकार आधारित दृष्टिकोणों को लागू करने की दृष्टि से आवश्यक है। श्रमिक, महिलाएं, युवा, ग्रामीण जन, देशज जन, विकालांग, कार्य आधारित संगठन, सभी स्तरों पर कार्य करने वाले एनजीओज/आईएनजीओज जैसे प्रमुख सेक्टरों और समूहों के लिए सीपीडीई में प्रभावकारी भागीदारी होगी। सभी स्तरों पर अभिशासन और कार्य समूह ढांचों में जमीनी स्तर के सीमांतीकृत समूहों का ठोस प्रतिधित्व होगा और उन्हें अपनी सहभगिता के लिए संसाधन आवंटित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय स्तर – सीपीडीई इस प्रकार से कार्य करेगा कि नीतिगत संवाद और विकास सहयोग प्रक्रियाओं के अनुश्रवरण और मूल्यांकन में सीएसओ भागीदारी की पैरवी करने वाले बहु–हितधारक मंचों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ जनतांत्रिक स्वामित्व के निर्माण को प्रोन्नत किया जा सके।

- यह सुनिश्चित करेगा कि विकास के प्रयास रणनीतिक, कार्यगत और प्रभावी हों तथा संसाधनों को अधिकतम स्तर का बैठाया जा सके।
- नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सीएसओज की भागीदारी की मांग करेगा।
- नागरिक सहभागिता को व्यापक बनायेगा और सरकारों को जवाबदेह ठहरायेगा।
- सहायता जानकारी को सुलभ कराने के लिए दवाब डालेगा/लाबीइंग करेगा।

क्षेत्रीय और उप– क्षेत्रीय स्तर: सीपीडीई इस प्रकार से कार्य करेगा कि उप–क्षेत्रीय ढांचे संस्थाओं और प्रक्रियाओं के साथ नीतिगत संलग्नता सुनिश्चित करें और देशों को वित्तपोषण या निधियों के अवसर हासिल करने की दिशा में अभिमुख करें।

नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर सीपीडीई का ध्यान–केंद्रण: सीपीडीई सीएसओज की निम्न भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करती है:–

- सामुदायिक संगठन
- मॉनीटरिंग और मूल्यांकन
- शोध और नीति संवाद
- सेवा प्रदायगी
- संसाधन लामबंदी
- सूचना और शिक्षा

- स्थानीय और भूमंडलीय स्तर के बीच संपर्क स्थापित करना
- देश/स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण और भूमंडलीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना।
- क्षेत्रीय गठन राज्य के कार्य पक्षों और अंतः राज्य ढांचों के साथ संलग्न हों।
- क्षेत्रीय गठनों के सदस्य भूमंडलीय लक्ष्यों में और संसाधनों में साझेदारी कर सकें।

भूमंडलीय स्तर सीपीडीई

1. बुसान मंच के बाद के अंतरिम समूह (पीबीआईजी)/एड प्रभावकारिता पर कार्य पक्ष (डब्ल्यूपी – ईएफएफ) के साथ कार्य करेगा
2. जीपीईडीसी के दीर्घकालिक अभिशासन कार्यतंत्रों के साथ कार्य करेगा
3. पेरिस, आकरा और बुसान मंचों के कार्यान्वयन की अनुश्रवण जरूरतों को लेकर कार्य करेगा।
4. इंटरनेशनल एड ट्रांस्पेरेंसी इनिशिएटिब (आईएटीआई) जैसे आधार संगठनों के साथ कार्य करेगा।
5. सीएसओ नेतृत्व वाली बहु हितधारक पहलकदमियां शुरू करेगा
6. सीएसओ साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए विकास सहयोग मंच के साथ कार्य करेगा।

इस घटनाक्रम के साथ सहायता विकास सहायता प्रभावकारिता से विकास प्रभावकारिता की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है।

[1] http://www.concordeurope.org/250-launch-of-cso-development-effectiveness-partnership

खबरें जो आप के लिए उपयोगी हैं

निर्धनता के चक्र को तोड़ने के लिए बालिका शिक्षा में निवेश करें: युनिसेफ

10 नवम्बर, 2013

नई दिल्ली: यूनिसेफ के अनुसार बालिकाओं की और विशेषकर निर्धन बालिकाओं की शिक्षा में निवेश भारत में सामाजिक संकेतकों की प्रगति के लिए जरूरी है।

इस संबंध में आयोजित एक बैठक में यूनिसेफ की शिक्षा प्रमुख, उर्मिला सरकार ने कहा, बालिका शिक्षा में नवोन्मेषी कार्य महिला सशक्तीकरण के लिए और निर्धनता के चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक है।

http://civilsocietynow4u.wordpress.com/2013/11/

अरबपति एनजीओ द्वारा मानव निर्धना को दूर करने हेतु निवेश

ईएनएस – नई दिल्ली, 22 दिसंबर 2013

अमरीका आधारित गैर लाभकारी संस्था मंच होरएजज – जिसने भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागढ़े की नौकरानी, संगीता रिचर्ड को गरीबी और उत्पीड़न से बचाने का दावा किया था, एक समृद्ध संस्था है।

सेफ होराइजन के वर्ष 2012 के वित्तीय विवरण यह प्रकट करते हैं कि संस्था ने 10,500,000 डालर का बांड्स, म्यूचुअल फंडस और शेयरों में निवेश किया है। इस संस्था को जो घरेलू हिंसा, आपराधिक न्याय और मानव तस्करी के क्षेत्र में कार्य करती है, एजीटी इंटरनेशनल, एवोन, अमरीकी सरकारी एजेंसियों, फिलिप वान हुसेन कारर्पोरेशन और कैपिटल वन बैंक से निधियां प्राप्त होती हैं।

http://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/Billionaire-NGO-Invests-In-Human-Misery/2013/12/22/article1958726.ece

एनजीओ द्वारा थानों में महिला डेस्कों की स्थिति में सुधार का आग्रह

प्रैस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जयपुर, 31 दिसंबर 2013

शहर के अनेक थानों में आवेदनकर्ता और अभियुक्त के रूप में महिलाओं के मामलों से निबटने का कोई कार्यतंत्र नहीं है। यह बात लॉइंटर्न द्वारा किये गये एक अध्ययन में सामने आई है।

इस अध्ययन के अंतर्गत पूर्वी जयपुर के 14 थानों के महिला डेस्कों का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने वाले छात्र पीयूसीएल के साथ इंटर्निंग कर रहे थे।

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/ngo-urges-improvements-for-mahila-desks-at-police-stations-113123100695_1.html

एनजीओ रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिलाओं विरुद्ध अपराधों में वृद्धि

इंडिया टुडे, 23 दिसंबर 2013

बिहार महिलाओं के लिए और भी असुरक्षित बन गया है। यह बात इक्विटी फाउंडेशन के एक अध्ययन से सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किस तरह बिहार महिलाओं के लिए असुरक्षित बना हुआ है और वहां 2008–2011 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक करारा झटका लगती है।

http://indiatoday.intoday.in/story/crime-against-women-in-bihar-ngo-equity-foundation-action-aid-nitish-kumar/1/332584.html

मुम्बई के एनजीओ द्वारा गिर के शेरों को गुजरात से मध्य प्रदेश भेजने का जबर्दस्त विरोध

डीएनए 17 दिसम्बर 2013

पिछले महीने मुम्बई की संस्था, एंपावर फाउंडेशन ने गुजरात के गिर अभ्यारण्य से मध्य प्रदेश के कुनो अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को भेजने पर अपना विरोध दर्ज किया। संस्था ने कहा जब तक बाकी मसले सुलझ नहीं जाते तब तक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

इस गैर–सरकारी संस्था ने आईयूसीएन के मार्गनिर्देशों के ऐसे 29 से भी अधिक मामलों का हवाला देते हुए बताया कि इस तरह शेरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने या भेजने से विफलता मिली है। इस संदर्भ में संस्था ने मध्य प्रदेश में गन कनवर और पोचिंग का उल्लेख भी किया।

http://www.dnaindia.com/mumbai/report-mumbai-ngo-roars-against-translocation-of-gir-lions-from-gujarat-to-mp-1936359

भारतीय एनजीओ के रेगिस्तान किट से रेगिस्तान चरवाहों को मिली राहत।

प्रैस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 11 दिसंबर 2013

एक भारतीय गैर सरकारी संस्था द्वारा आरंभ की गई डेजर्ट किट परियोजना ने उन चरवाहों के जीवन में अंतर लाना शुरू कर दिया है जो अकेले रेगिस्तान में मीलों की दूरी तय करते हैं।

इस डेजर्टकिट में एक कम्बल और एक जैकेट होती है ताकि चरवाहे कुवेत की भीषण सर्दी से बचाव कर सकें और साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थ भी प्राप्त कर सकें जो नियमित जीवन में उन्हें प्राप्त नहीं होते।

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/indian-ngo-s-desert-kit-provides-relief-to-shepherds-in-desert-113121100431_1.html

वैश्विक समाचार

वर्ष 2013 का एनजीओ – कार्बन ट्रेकर

27 दिसंबर 2013 ब्लू एंड ग्रीन टुमारो द्वारा

कार्बन ट्रेकर के संस्थापक पर्यावरणविद बिल मैकिबेन ने वर्ष 2013 में अपने भूमंडलीय विदेश दौरे के दौरान कार्बन ट्रेकर मैप्स का उपयोग किया था। आज ऐसे अनेक उदाहरण यह दर्शाते हैं कि मुख्य धारा की निवेश दुनिया इसे गंभीरता से ले रही है।

कार्बन ट्रेकर के अग्रणी अध्ययन, अनबर्नेबल कार्बन के अनुसार कि विश्व की कंपनियों ने तेल, गैस और कोयले के नये स्रोतों की तलाश पर वर्ष 2012 में 650 अरब अमरीकी डालर खर्च किये थे।

http://blueandgreentomorrow.com/features/2013-sustainable-ngo-of-the-year-carbon-tracker/

जलवायु प्रोफैश्यल, 13 दिसंबर 2013

13 दिसंबर 2013

अनेक वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्तों निर्धनता और पर्यावरण के जुड़ाव बिंदु के बारे में दो मुख्य अवधारणाओं के बारे में जानते थे। पहला यह कि प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायित्वपूर्ण उपयोग निर्धनता को जन्म दे सकता है। दूसरा यह कि निर्धनता पर्यावरण का ह्रास कर सकती है। पर अनेक दासता – विरोधी कार्यकर्ता और जलवायु बदलाव शोधकर्ता इनमें और भी कड़ियां जोड़ रहे हैं। अधिकाधिक रूप से ऐसा लगता है कि क्षतिग्रस्त पर्यावरण और आधुनिक दासता के बीच संबंध है।

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/dec/13/slavery-climate-change-poverty

एसियान क्षेत्र में निगमित मानव अधिकार उल्लंघनः निगमित जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुपालन के लिए नागरिक समाज का आह्वान

9 दिसंबर 2013

नागरिक समाज के समूहों ने क्षेत्र में और अधिक निगमित जवाबदेही की मांग की जिसके लिए मानव अधिकार मानकों और मानदंडों के आधार पर एक नियमनकारी ढांचे की जरूरत होगी। यह बात जकार्ता में एसियान क्षेत्र में निगमित जवाबदेही एक मानवधिकार आधारित दृष्टिकोण रिपोर्ट के विमोचन के समय उजागर किया गया। यह रिपोर्ट दी जनरल हयूमन राइट्स एनजीओ एशियन फोरम फार हयूमन राइट्स एंड डिवेलपमेंट (फोरम एशिया) द्वारा प्रकाशित की गई और अधिकारिक रूप से एसियान अंतः सरकारी आयोग के प्रतिनिधि डॉ सेटी नॉनथासूट ने प्रस्तुत की गई।

http://civilsocietynow.blogspot.in/2013/12/corporate-human-rights-abuses-in-asean.html

वाणी की गतिविधियां: नवम्बर 2013 – दिसम्बर 2013

- **19 नवम्बर 2013** इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेशी अनुदानः भारत का स्वैच्छिक क्षेत्र विषय पर राउंड टेबल विचार–विमर्श
- **20 नवम्बर 2013** संविधान समीक्षा पर उप समिति की वाणी कार्यालय में बैठक
- **21 नवम्बर 2013** वाणी कार्यालय में वाणी की कार्य समिति की वैठक
- **6 दिसंबर 2013** वाणी कार्यालय में जी–20 के संबंध में बैठक
- **13 दिसंबर 2013** जोरबा में वाणी के कर्मचारियों के लिए संप्रेषण कार्यशाला
- **16 दिसंबर 2013** निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक संगठनों में राउंड टेबल विचार–विमर्श

आने वाले कार्यक्रम

- **7–8 जनवरी 2014,** नागपुर, महाराष्ट्र में बदलते परिदृश्य में स्वैच्छिक संगठनों की चुनौतियां विषय पर क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला
- **13 जनवरी 2014** नेशनल फाउंडेशन आफ इंडिया हैबिटैट सेंटर नई दिल्ली में भूमंडलीय मंचों पर भारत के स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को मजबूत बनाना विषय पर बैठक
- **जनवरी 2014 का तीसरा सप्ताह** वाणी और उन्नति द्वारा गुजरात में राज्य स्तरीय बैठक
- **जनवरी 2014 का अंतिम सप्ताह** वाणी और सहायी द्वारा केरल में राज्य– स्तरीय बैठक

मेरी आवाज: आर्लेने गाल्वेज

आर्लेने गात्वेज सितंबर 2012 से नेशनल वॉलटरिंग प्रोग्राम आफ वीएसओज के वालंटियर प्रबंधन परामर्शदाता है। इस कार्य के अलावा वे ईयू एड वालंटियर्स बिल्डिंग इन रेसिलियेंस (इसीएचओ एको) की सहायता भी कर रही है एको परियोजना का उद्देश्य यू एड वालंटियर्स (ईयूएवी) की पहलकदमियों में और स्वैच्छिक कार्य ईयू की मानवतावादी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र, क्षमता विकास आदि में मूल्यों और पेशेवर कार्य का सामवेश कैसे कर सकता है इस संबंध में साक्ष्य प्रदान करेके ईयूएवी नियमन के कार्यनवयन के लिए आधार तैयार करने के ईसी के वर्तमान कार्य में योगदान करना है।

1. स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है?

स्वैच्छिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा आजीविका, युवा विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। ये संस्थाएं एक वालंटियर के रूप में मिलकर कार्य करती हैं या फिर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एडवोकेसी और कार्य पहलकदमियों को लेकर कार्य करती हैं। पहलकदमियां स्थानीय भी हो सकती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भी। ये पहलकदमियां न केवल भारत में विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग और समझ को मजबूत भी बनाती हैं।

2. कृप्या हमें भारत में एक वालंटियर के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव में अवगत कराये

भारत में अंतर्राष्ट्रीय वालंटियर होना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि मुझे एक दूसरे देश में एक अलग संस्कृति, धर्म भाषा लोगों, सामाजिक ढांचों मौसम, अनेक मूल्यों आदि के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ा है।

मैं एक उष्णकटिबंधीय (ट्रूपिकल) देश से हूं जहां केवल दो मौसम होते हैं गीला और शुष्क मौसम। भारत में मैंने अन्यंत कठोर मौसम स्थितियों का सामना किया। यहां या तो अत्यधिक गर्मी होती है या फिर अत्यधिक सर्दी। मुझे इन दोनों स्थितियों के अनुसार अपने को आसानी से ढालने के तरीके अपनाने पड़े। डर यह भी रहता था कि कहीं बीमार न पड़ जाऊं ताकि अपना काम पूरी कार्यक्षमता के साथ कर सकूं।

मैं अभी भी हिंदी सीख रही हूं। जमीनी स्तर की संस्थाओं के लोगों, बाजार में मौजूद लोगों और ऑटोवालों के साथ बातचीत करने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। मैं अपने सहमकर्मियों की आभारी हूं जिन्होंने धैर्यपूर्वक मुझे हिंदी में बुनियादि बातचीत करनी सिखाई है।

मुझे यह समझने में बड़ा धैर्य रखना पड़ता है कि लोग किस तरह किन चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं । मैं एक ऐसे देश में हूं जिसकी संस्कृति और मूल्य मेरे अपने देश से अलग हैं और साथ ही लोगों तथा स्थितियों को लेकर कार्य करने का दृष्टिकोण भी काफी अलग है।

इन सभी चुनौतियों के बीच यह महसूस करती हूं कि भारत में स्वैच्छिक कार्य करना एक फलप्रद और लाभप्रद अनुभव है। यह सीखने और सीख हासिल करने का एक अनुभव है। मैंने भारत और उसके लोगों के बारे में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से मिलकर और उनके साथ काम करके तथा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ही सीखा। अपनी मूल नियुक्ति और फिर उसके विस्तार से मुझे संतोष प्राप्त हुआ।

3 आपके अनुसार स्वैच्छिक क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- **वित्तपोषण या निधिदान के स्रोतों का सीमित और अस्थायी होना:** स्वैच्छिक क्षेत्र मुख्यतः विदेशी निधियों पर निर्भर है। पर ये निधियां कुछ समय के लिए ही जाती हैं। सवाल यह है कि इसके बाद संस्थाएं क्या करें? कभी–कभी तो ऐसा होता है कि निधियों के अभाव की वजह से

भारत राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति स्वैच्छिक अधिनियम का कार्यान्वयन करे। यह एक ऐसा अधिनियम है जो न केवल कर छूट, साझदारी, प्रशिक्षण, एक्रीडीशन जैसा कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति 2007 में अनबंधित किया गया है के मुद्दों से निबटेगा, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों को भी मजबूत बनायेगा जो स्वैच्छिक कार्य को मान्यता और प्रोत्साहन देंगे। उदाहरण के लिए देश के भीतर और बाहर काम करने वाले वालंटियरों को अन्य बीमा, प्रशिक्षण, विशेषाधिकार और दर्जा।

परियोजनाओं को समय से पहले ही बंद कर देना पड़ता है।

- **निगमित और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच अविश्वास :** मेरे विचार से निगमित और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच जो अविश्वास है उसका मुख्य कारण इन दोनों क्षेत्रों के अलग–अलग नजरिये या दृष्टिकोण हैं। निगमित क्षेत्र अक्सर ही स्वैच्छिक क्षेत्र को इस रूप में देखता है कि यह निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी और गैर–सरकारी संस्थाएं अक्सर यह पाती हैं कि निगमित क्षेत्र उनके उद्देश्यों पर अविश्वास कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति बहुत कम दिलचस्पी है या उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव है।

- **स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में भ्र या गलत धारणाएं:** स्वैच्छिक क्षेत्र को हमेशा वामपंथी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। कुछ अन्य लोग हमें टकरावादी और राजनीतिक समझते हैं विशेष रूप से जब हम एडवोकेसी करते हैं या पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हैं। दूसर गलत धारणा यह है कि स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग बिना पैसे के काम करते हैं। वे समझते हैं कि हम दूसरे दर्ज के काम करने वाले लोग हैं और हमारे पास ऐसे कौशल नहीं हैं कि हम निगमित क्षेत्र में शामिल हो सकें।

- **सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच संबंध:** सरकार या राज्य को हमें विकास कार्यक्रमों में साझेदार के रूप में देखना चाहिए। हम स्वस्थ्य, शिक्षा, युवा और महिला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ काम करते हैं इसलिए संबंधों की गुणवत्ता भी क्षेत्र आधारित होगी।

4 महिला सशक्तीकरण के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र में आप युवाओं की भूमिका को किस रूप में देखते हैं?

मैं युवा स्वैच्छिक कर्मियों को महिलाओं के संबंध में एक आदर्श के रूप में देखती हूं। वे दूसरों को सक्रिय नागरिक बनाने उन्हें उत्तरदायित्व का बोध कराने, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और समाज की मुख्य धारा में उनका समावेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समुदाय की असुरक्षित क्षेत्र के अंग के रूप में युवा (विशेषकर महिलाएं) घर में असमान जेंडर भूमिकाओं, आदि के बारे में अपने अनुभव के साथ पर्याप्त ज्ञान रखते हैं जिसे वे स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रदान कर सकते हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को इन युवा स्वैच्छिक कर्मियों के उत्साह, कौशलों का उपयोग कर उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार फलन`फूलने में मदद करनी चाहिए।

5. अगले 10 वर्षों में आप स्वैच्छिक क्षेत्र को किस रूप में देखना चाहेंगी?

मैं यह चाहती हूं कि भारत राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति स्वैच्छिक अधिनियम का कार्यान्वयन करे। यह एक ऐसा अधिनियम है जो न केवल कर छूट, साझदारी, प्रशिक्षण, एक्रीडीशन जैसा कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति 2007 में अनबंधित किया गया है के मुद्दों से निबटेगा, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों को भी मजबूत बनायेगा जो स्वैच्छिक कार्य को

मान्यता और प्रोत्साहन देंगे। उदाहरण के लिए देश के भीतर और बाहर काम करने वाले वालंटियरों को अन्य बीमा, प्रशिक्षण, विशेषाधिकार और दर्जा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कि भारत में स्वैच्छिकवाद क्या है और राष्ट्रीय वालंटियर कौन हैं?

मै चाहती हूं कि भारत की अपनी अवसंरचना सरकार द्वारा संचालित स्वैच्छिक एजेंसी और ऐसा फोरम हो जहां सभी वालंटियर अपना पंजीकरण करा सकें। और स्वैच्छिक क्षेत्र जानकारी, अनुभव और संसाधनों को पूरति करने के लिए वालंटियरों और वालंटियर सेवा संगठनों के बीच समन्वय को सुधारने के लिए नेटवर्किंग कर सके।

मैं यह परिकल्पना भी करती हूं कि सभी प्रकार के संचार माध्यमों में स्वैच्छिक क्षेत्र की अधिक स्पष्ट छवि उभरेगी जिससे लोगों के बीच, विशेषकर उन लोगों के बीच जो हामरे इरादों पर संदेह करते हैं – अधिक जागरूकता पैदा होगी। निगमित और स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर और उ नके बीच बढ़ती जटिलता को हल करने का भी यह एक तरीका होगा। मैं आशा करती हूं कि दोनों क्षेत्र ऐसे प्रतिमान तैयार करेगे जिनसे नवाचारपूर्ण कार्यों और टिकाऊ समाधानों को विकसिल करने की हर क्षेत्र की मुख्य क्षमताओं (उदाहरण के लिए संसाधन, कौशल और नेटवर्कों) को बढ़ाया जा सकेगा।

मैं चाहती हूं कि जमीनी स्तर पर काम के लिए अधिकाधित राष्ट्रीय और/अथवा एशिया से एशिया/दक्षिण से दक्षिण में कार्य करने वाले वालंटियर सामने आये। स्वैच्छिक कार्य की आपूर्ति और मांग पक्षों दोनों के लिए ऐसा जरूरी है। आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से देखें तो देश के भीतर और एसियान देशों के बीच बेहतर सुरक्षा परमिट, पुलिस किलयरेंस, बीजा और अन्य दस्तावेजों की वजह से यह अधिक सुविधाजनक है। मांग पक्ष की दृष्टि से देखें तो समान संस्कृतियां और समान जीवन स्थितियां नियुक्तियों को आसान बना देती है। वालंटियरों को सांस्कृतिक तौर–तरीके स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण में कम समय लगाना होता है।

– यहां प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत हैं। यह साक्षात्कार वाणी के शोध और दस्तावेजीकरण अधिकारी एस.एम.जकी अहमद द्वारा लिया गया है।

स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ अपनी एकजुटता दर्शाएं

"वाणी के सदस्य बनें"

वाणी की सदस्यता की प्रक्रिया और मानदंडों के लिए वाणी के वेबसाइट पर लॉग ऑन करें या फिर निम्न पते पर लिखें

(www.vaniindia.org) or write to:
Voluntary Action Network India (VANI)
First Floor, BB-5, Greater Kailash Enclave-II,
New Delhi 110 048
Phone: 011-29228127, 29223644, Telefax: 011-41435535
Email: info@vaniindia.org, Website: www.vaniindia.org

वाणी के नये प्रकाशन

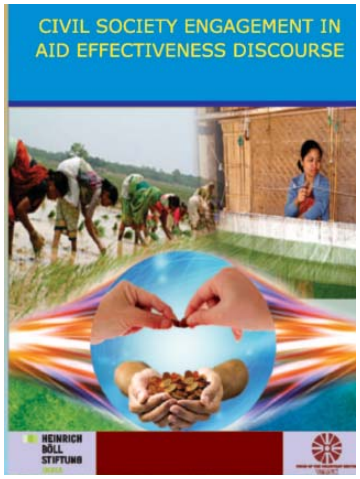
CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT IN
AID EFFECTIVENESS DISCOURSE
HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG

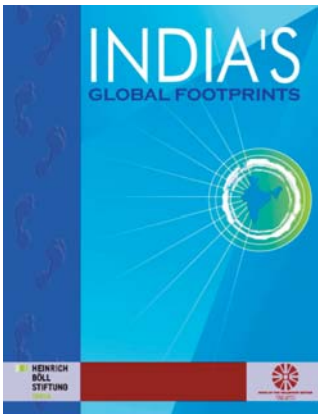
INDIA'S
GLOBAL FOOTPRINTS
HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG

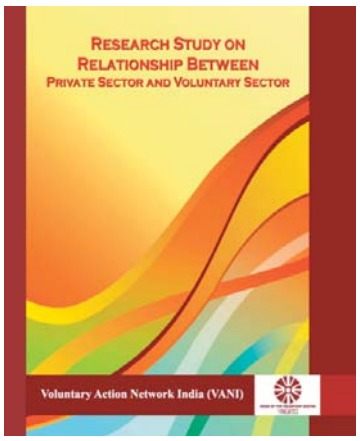
RESEARCH STUDY ON
RELATIONSHIP BETWEEN
PRIVATE SECTOR AND VOLUNTARY SECTOR
Voluntary Action Network India (VANI)

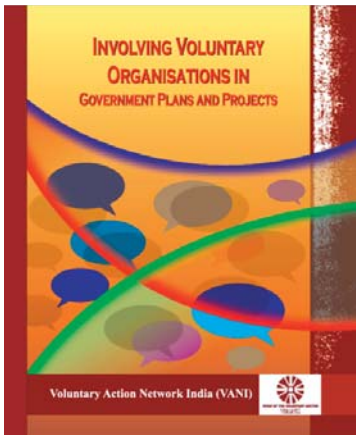
INVOLVING VOLUNTARY
ORGANISATIONS IN
GOVERNMENT PLANS AND PROJECTS
Voluntary Action Network India (VANI)

25th
Annual Report
2012-13
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI
Voluntary Action Network India
BB-5, Ist Floor, G.K. Enclave-II,
New Delhi - 110 048
Ph: 011-29228127, 29226532, Telefax: 41435535
E-mail: info@vanindia.org
Website: www.vanindia.org

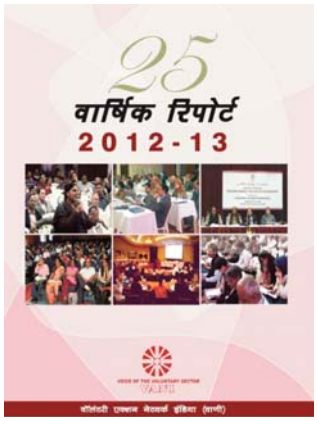
25
वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

25th
ANNUAL REPORT
2012-13
VOLUNTARY ACTION NETWORK INDIA

2014
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

Voluntary Action Network India
an apex body of voluntary organisations
celebrating 25 years...
e-vani